प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 16.04.2026

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक16.04.2026 को 01 अभियोग में सजा करायी गयी है।

1. थाना बकेवर

इटावा पुलिस की सुदृढ विवेचना एवं अभियोजन की समन्वित कार्यवाही के परिणामस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 3,000 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना बकेवर पैरोकार, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्याया0एडीजे-12/ डकैती कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 3000 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

थाना बकेवर क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तगणो द्वारा वादी के भाईयों से अपाचे मोटर साइकिल व 02 मोबाइल फोन छीन ले जाने के संबंध में थाना बकवेर पर दिनांक **23.08.2021** को **मु0अ0सं0-395/2021 धारा 392/411 भादवि** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी **उ0नि0 नितिन कुमार** के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना बकेवर पुलिस टीम, पैरोकार का0 राहुल कुमार व मानीटरिंग टीम व एडीजीसी श्री कौशलेन्द्र तोमर द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 16.04.2026 को अन्तर्गत धारा 392/411 भादवि में **मा0 न्याया0एडीजे-12/ डकैती कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त रघुनन्दन कुमार उर्फ रघु पुत्र स्व0 निर्मल कुमार को 03 वर्ष का कारावास व 3,000 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

रघुनन्दन कुमार उर्फ रघु पुत्र स्व0 निर्मल कुमार निवासी नई मण्डी के पीछे, श्याम नगर थाना फ्रेण्ड्स कॉलोनी, जनपद इटावा।